प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 13.11.2024

- ❖ **अपराध नियंत्रण की दिशा में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कडी कार्यवाही के क्रम में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- ❖ **चेकिंग के दौरान अन्तर्जनपदीय गांजा तस्करों को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 सफेद रंग की वैगनार UP 78 JT 1488 व 5 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 1.25 लाख रुपये) के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना शिवली पुलिस द्वारा में आज दिनांक 13.11.2024 को भेवान चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की चेकिंग के दौरान रसूलाबाद की तरफ से आर रही वैगनार कार को चेकिंग हेतु रोका गया किन्तु वाहन चालक द्वारा वाहन को तेजी से चलाकर केसरी निवादा नहर के रास्ते की ओर मोडकर भागने लगे जिनको पुलिस टीम द्वारा भेवान चौराहे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर केशरी निवादा नहर पटरी पर समय करीब 12.30 बजे पकड़ लिया गया। वाहन की तलाशी लेने पर कार में बैठे दोनों व्यक्तियों के कब्जे से 5 किलोग्राम नाजायज गांजा (कीमत लगभग 1.25 लाख रुपये) बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शिवली पर मु0अ0सं0 327/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 **बनाम 1. पुष्पेन्द्र यादव उर्फ राहुल पुत्र पदमकान्त यादव निवासी ग्राम मरहमताबाद थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 28 वर्ष 2. दिलदार कंजड़ पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम कंजड डेरा केसरी निवादा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 34 वर्ष** पंजीकृत किया गया। वैगनार नं0 **UP 78 JT 1488** को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

(1) पुष्पेन्द्र यादव उर्फ राहुल पुत्र पदमकान्त यादव निवासी ग्राम मरहमताबाद थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 28 वर्ष।

(2) दिलदार कंजड़ पुत्र स्व0 लल्लू निवासी ग्राम कंजड डेरा केसरी निवादा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 34 वर्ष।

पूछताछ विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग कुलदीप निवासी दिल्ली नामक व्यक्ति से गांजा खरीदकर फुटकर में अलग-अलग जगह पर बेचकर लाभ कमाते हैं। आज भी हम लोग, गांजा कार में रखकर बेचने के लिये जा रहे थे। पुलिस चेकिंग को देखकर पकड़े जाने के डर से भागने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पुष्पेन्द्र उर्फ राहुल यादव इस गैंग का मास्टर माइंड है जो कि अपनी वैगनार कार से मादक पदार्थ गांजा खरीदता व बेचता है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पूरे नेटवर्क का अनावरण करने हेतु गिरफ्तारी एवं बरामदगी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ राहुल यादव का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 327/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त दिलदार का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 327/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 431/2022 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

3. मु0अ0सं0 199/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 181/2016 धारा 379 भा0द0वि0 थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 161/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 10/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 सफेद रंग की वैगनार नं0 **UP 78 JT 1488** को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।
2. 05 किलोग्राम गांजा नाजायाज (कीमत लगभग 1.25 लाख रुपये)
3. 03 अदद मोबाइल फोन एन्ड्रायड
4. 01 अदद तौल करने का इलेक्ट्रानिक मशीन
5. जामा तलाशी से प्राप्त 1600/रुपये

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरमीत सिंह
2. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह
3. हे0का0 93 बृजेश कुमार
4. का0 106 वैभव
5. का0 877 सत्यवीर
6. का0 294 राजदीप